<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित नहीं</u>

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 624/2015</u>

लेखराज उर्फ पिंटू साहू पिता - बोधीराम साहू, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी-गाँव-पचपेढ़ी, पुलिस स्टेशन और डाकघर-भखारा, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ , छत्तीसगढ़।

---- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य , द्वारा- जिला मजिस्ट्रेट , धमतरी, जिला-धमतरी छत्तीसगढ़ , छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से : श्री शिवेंदु पांड्या, अधिवक्ता।

उत्तरदाता/राज्य की ओर से : श्री अशोक स्वर्णकार, पैनल अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत</u>

<u>बोर्ड पर निर्णय पारित</u>

<u>19/09/2018</u>

(1) इस अपील में, सत्र विचारण क्रमांक 43/ 2014 में विद्वान अतिरिक्त/अपर सत्र न्यायाधीश, धमतरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 15.5.2015 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को चुनौती दी गई है , जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 304 भाग-2 और 323 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए , उसे 10 साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक मामले में 100/- रुपये का जुर्माना चुकाये जाने की सजा सुनाई थी, जुर्माना न चकाये जाने के व्यतिक्रम में एक महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(2) दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी साक्ष्य के , विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को उपर्युक्त रूप से सिद्वदोष पाया है और दण्डादेश दिया गया है और इस तरह अवैधानिकता की।

(3) अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार , संक्षेप में, घटना दिनांक 18.10.2014 को शाम लगभग 7:40 बजे, अपीलकर्ता मृतक धनंजय साहू के घर के सामने आया और गाली-गलौज करने के बाद, उसने लकड़ी के डंडे (बैलगाड़ी का एक हिस्सा) से उस पर हमला किया और उसे पीटा, यह कहते हुए कि वह उसे जान से मार देगा। जब शंकर लाल (अ.सा.-8) बीच-बचाव करने आया तो उसके साथ भी आवेदक ने मारपीट की। मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है । दिनांक 19.10.2014 को शाम 5:30 बजे उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मर्ग सूचना प्र.पी/32 पुलिस स्टेशन भखारा में दर्ज की गई तथा मर्ग जांच में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दिनांक 20.10.2014 को एफआईआर प्र.पी/6 दर्ज की गई ।

(4) गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के तहत अभिलिखित किए गए। विवेचना की गई और अन्वेषण पूरी होने पर संबंधित न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) विचारण के दौरान अधिनस्थ न्यायालय ने आईपीसी की धारा 294, 506 भाग II, 323 और 302 के तहत आरोप विरचित किए। अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के अपराध को प्रमाणित करने के लिए 26 गवाहों का परीक्षण किया गया ।अपीलकर्ता का बयान संहिता की धारा 313 के तहत अभिलिखित किया गया , जिसमें अपीलकर्ता ने अपने खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और संबंधित अपराध में निर्दोष होने और झूठे फंसाए जाने का अभिवाक किया । उन्होंने यह भी अभिवाक किया कि मृतक को गिरने के कारण चोटें आईं थीं और यह मृतक ही था जिसने अपीलकर्ता पर हमला किया था , जिसमें अपीलकर्ता ने अपना बचाव किया था। बचाव पक्ष में किसी गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है ।

(6) दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपर्युक्त अनुसार दोषी ठहराया तथा दण्डादेश किया।

(7) मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है ,आक्षेपित निर्णय तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

(8) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत अपराध कारित करने के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है। मृतक को जो चोटें आई थीं , वे केवल आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध की श्रेणी में आती हैं। मृतक की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है, जैसा कि डॉ. उल्हास गोन्नाडे (अ.सा.-22) के साक्ष्य से

स्थापित होता है, जिन्होंने मृत्यु के बारे में कोई राय नहीं दी है, कि यह प्रकृति में मानव वध थी एवं प्रति-परीक्षा में, उन्होंने यह भी कथन किया है कि मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर चोटें नहीं पाई गईं। इसी प्रकार, एमएलसी करने वाले डॉक्टर (अ.सा.-26) ने भी कथन किया है कि मृतक को लगी चोटें सामान्य प्रकृति की थीं। इसलिए, धारा 304 भाग II के तहत उनकी सजा कानून की दृष्टि से गलत है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार किया जाए।

(9) दूसरी ओर, उत्तरवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता की ओर से की गई निवेदनों का विरोध किया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है। तथ्य एवं परिस्थितियां प्रत्यक्षतः यह इंगित करती हैं कि अपीलकर्ता द्वारा की गई मारपीट के कारण मृतक को घातक चोट पहुंची, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए, अपीलकर्ता को दोषमुक्त करने का कोई मामला नहीं बनता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के विवेचन के लिए मैंने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन किया है।

(11) इस अपील में यह प्रश्न उठाया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होता है या नहीं।

(12) सबसे पहले इस बात पर विचार करना होगा कि मृतक की मृत्यु मानववध थी या नहीं। डॉ. प्रफुल्ल कुमार (अ.सा.-.-26) ने दिनांक 18.10.2014 को रात्रि लगभग 8:00 बजे धनंजय परीक्षण किया था और छाती के बायीं ओर 5 x 1 सेमी आकार का एक खरोंच पाया था जो सामान्य प्रकृति का था और आहत की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे समुचित उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया था, जैसा कि उनकी रिपोर्ट प्रदर्श-पी/28 में दर्शाया गया है । प्रति-परीक्षा में उन्होंने पुनः स्वीकार किया कि आहतों को लगी सभी चोटें सामान्य प्रकृति की थीं। डॉ . नीता (अ.सा..-25) ने न्यायालय के समक्ष बताया कि मृतक को दिनांक 19.10.2014 को प्रातः 4.20 बजे डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर में भर्ती कराया गया था तथा उसी दिन सायं लगभग 5.20 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उसने मृतक का इलाज नहीं किया है और उसका बयान भी चुनौती रहित है। डॉ. उल्हास गोन्नाडे (अ.सा.-22) ने शव विच्छेदन किया है। उन्होंने कथन किया है कि मृतक की बाह्य जांच करने पर

उन्हें पीठ के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर 15 x 2.5 सेमी का एक घाव, पीठ के मध्य में 25 x 2.5 सेमी आकार का एक अन्य घाव, बाईं निचली जांघ के पीछे की ओर एक घाव तथा बाएं घुटने और टखने के बीच 1 x 5 सेमी आकार का एक घाव मिला, जिसे टांका लगाया गया।

(13) डॉ. उल्हास गोन्नाडे (अ.सा.-22) द्वारा कथन किया गया है कि आंतरिक परीक्षण में उन्होंने मृतक की खोपड़ी के दाहिने हिस्से की त्वचा के नीचे हेमटोमा पाया और मृतक का हृदय तीन भागों में फट गया था , जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव हुआ था, जैसा कि उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी/13 में दर्शाया गया है। उन्होंने मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में कोई राय नहीं दी है। लेकिन बाद में उन्होंने प्र. पी/14 में अपनी राय दी है कि मृत्यु का कारण हृदय की हड्डी टूटने और वहां से रक्तस्राव के कारण सदमा लगना था। प्रतिपरीक्षा में उन्होंने स्वीकार किया है कि मृतक के शरीर पर जो चोटें पाई गईं थीं, वे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर नहीं थीं तथा उन्होंने मृत्यु के बारे में यह राय नहीं दी है कि यह मानववध थी, क्योंकि इसके समर्थन में कोई कारण मौजूद नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) अभियोजन पक्ष ने मृतक को पहुंची चोटों को उसकी मृत्यु से जोड़ा है , जबकि चिकित्सकीय रूप से यह संभव नहीं लगता कि मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें मायोकार्डियल रप्चर का कारण हो सकती हैं जो इस मामले में मृतक के साथ हुआ है। डॉक्टरों ने इस बात पर कोई स्पष्ट राय नहीं दी है कि यह मौत मानववध की वजह से हुई है। डॉ. प्रफुल्ल कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि चोटें सामान्य प्रकृति की थीं। अतः, जैसा कि मामला है, कारित चोटों और मृत्यु के कारण के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं किया जा सका और यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी और दूसरी ओर , यह प्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु हो सकती है।

(15) इस मामले में एकमात्र चक्षुदर्शी साक्ष्य रुखमणी (अ.सा.-7) है, जिसने कथन किया है कि अपीलकर्ता ने उसकी मौजूदगी में मृतका पर हमला किया था लकड़ी के डंडे जैसे पदार्थ से उस पर हमला किया गया और फिर उसका पति /मृतक बेहोश हो गया। उनकी सूचना पर एफआईआर प्रदर्श पी/6 दर्ज कर मामले की विवेचना की गई। उन्होंने बताया कि उनके पति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी प्रकार का बयान रुखमणी (अ.सा.-1) के घायल ससुर शंकर लाल (अ.सा.-8) ने भी दिया है कि जब अपीलकर्ता ने मृतका की पिटाई की तो वह बीच-बचाव करने आया और इस घटना में वह भी घायल हो गया। यदि गवाहों के बयानों को अखंडित और

अविरोधाभासी माना जाए और यह निष्कर्ष न निकाला जाए कि अपीलकर्ता द्वारा पहुंचाई गई चोटें ही मृतक की मृत्यु का कारण थीं, तो अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत ही माना जा सकता है।

(16) **डूंगा राम बनाम राजस्थान राज्य** प्रतिपादित 1996 क्रि.एल.जे. 3672 के मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मृतक को एक ही लाठी से मारे जाने के एक समान मामले पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषसिद्धि पर्याप्त थी। 2013 में दर्ज **मिठुमल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)** प्रतिपादित **2013(4) सीजीएलजे 85** के मामले में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने इसी तरह के मामले की जांच की है और अभिनिर्धारित किया है कि हालांकि घटना में मृत्यु हुई थी, लेकिन हत्या के लिए गैर-इरादतन हत्या के अपराध का मामला नहीं बनता है और आरोपी को केवल आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। इस मामले में साक्ष्य की बारीकी से जांच करने पर, जो निष्कर्ष ऊपर दिया गया है वह समान है और कानून के अनुरूप है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) अतः, समुचित विचार के पश्चात, अपील स्वीकार की जाती है। आईपीसी की धारा 304 भाग II के अंतर्गत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है तथा इसके स्थान पर अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिसके लिए अपीलकर्ता द्वारा पहले से जेल में बिताई गई निरोध अवधि पर्याप्त है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

(18) तदनुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

हस्ता/-

(राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**